

Regulations, 1975, published in Notification No. G.S.R 227 in Gazette of India dated the 22nd February, 1975

- (6) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 1975, published in Notification No GSR 228 in Gazette of India dated the 22nd February, 1975

[Placed in Library. See No LT-9086/75]

CENTRAL EXCISE (4TH AMDT, RULES 1975, NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962 AND CENTRAL EXCISE RULES, 1944

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) I beg to lay on the Table—

- (1) A copy of the Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1975 (Hindi and English versions) published in Notification No GSR 67(E) in Gazette of India dated the 1st March, 1975 under section 38 of the Central Excises and Salt Act 1944
- (2) A copy each of Notification Nos GSR 124(E) to 136 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st March, 1975 under section 159 of the Customs Act 1962 together with an explanatory memorandum
- (3) A copy each of Notification Nos GSR 65(E) 70(E) to 81(E), 83(E) to 118(E) and 121(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st March, 1975 issued under rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 together with an explanatory memorandum

[Placed in Library. See No LT-9087/75].

NOTIFICATION UNDER DELHI SIKH GURDWARAS ACT, 1971

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 39 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971.—

- (1) The Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-optation of Members) (Amendment) Rules, 1975, published in Notification No. F 18/33/74-Judl in Delhi Gazette dated the 25th February, 1975
- (2) The Delhi Sikh Gurdwaras (Election of Pro-tempore Chairman, President, Other Office Bearers and Members of the Executive Board) (Amendment) Rules, 1975, published in Notification No F 18(29)/73 Judl (ii) in Delhi Gazette dated the 25th February, 1975

[Placed in Library See No LT-9088/75]

12.06 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED WAGON BREAKING RACKET IN KODERMA

SHRI B. V. NAIK (Kanara) Sir, I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon—

"The reported wagon breaking racket in Koderma involving politicians and RPF personnel swindling railways to the extent of Rupees Five crores"

THE MINISTER OF STATE IN (SHRI MOHD SHAFI QURESHI): Sir, a scrutiny of the crime reports received from the Eastern Railway as

also other source information had indicated that the incidence of crime against booked consignments in the Grand Chord Section of Dhanbad Division of the Eastern Railway was frequent. A team from the Central Crime Bureau of the Railway Board was deputed to make confidential enquiries into the matter and they also sought help from the Bihar CID and other State Police authorities. The information was developed further and on February 28, 1975, searches were conducted at seven places in the railway quarters at Railway Station Koderma and in Jhumri Talaiya Town of Bihar under the supervision of Superintendent of Police, District Hazaribagh, and an Assistant Security Officer from the Railway Board.

The main party of the Central Crime Bureau, Railway Board, who had made preliminary enquiries and organised the raid is still working in the field on this case and full details of the developments thereof are not yet known. However, on the basis of information so far received in the Railway Board, the facts are as under:—

As a result of these searches, some property suspected to have been stolen from the Railway, cash amounting to about Rs 1,05,000/- and some papers were recovered and as a consequence thereof, three Rakshaks of the Railway Protection Force and one other railway employee were arrested. One more railway employee wanted in the case is absconding.

Government Railway Police, Gomoh (Bihar) have registered four cases under Section 414 IPC and Section 5(2) of Prevention of Corruption Act and are investigating the same. A case under Section 3 of the Railway Property (Unlawful Possession) Act has also been started at R.P.F. Post, Gomoh, and is under enquiry.

Since the whole matter is under investigation by the Bihar State Police authorities and the papers etc. seized will require a detailed examination, it would be premature to say anything

at this stage about the alleged links of the wagon breakers.

Separate statistics of losses incurred at Koderma Railway Station are not readily available. However, during the period from January to October 1974, 1219 cases involving a loss of Rs. 16,37,098/- were reported from the entire Dhanbad Division.

SHRI B. V. NAIK: Sir, what we have listened to in the reply and the most operative part as usual in respect of almost all replies to the Calling Attention Motions is that it would be premature to say anything at this stage about the alleged link of the wagon breakers. Whatever has been seized, will need a further detailed examination. Before I go to the subject proper, I feel that the very utility of the Parliamentary Institution is in order to expose these rackets and give them as wide a publicity as possible so that culprits are afraid of the due process of law; in due course of time, under Sec. 414 of IPC we can book them. After they book the culprits, if the magistracy accepts the contention of the prosecution, there is a maximum of three year's punishment and some fine. Since it is in the interests of both the Government and the Railways not to say the least about the opposition, that the Parliamentary Institution is at least not made inarticulate, I would perhaps request not only the Minister for Railways but all the ministries concerned to come out with a frank clarification involving all the facts at their command. After all, the proceedings here are protected. By making these general observations, I would also like to submit to you that, according to the Railway Convention Committee Report for the year 1971, thefts that took place in 1968-69 were of the order of Rs. 35 lakhs; in 1969-70 they were of the value of Rs. 39 lakhs; in 1970-71, they were of the value of Rs. 110 lakhs but, in 1971-72, the value was of the order of Rs. 127 lakhs. I do not have the figures for the year 1972-73. But, at the time of presentation of Railway Budget, the Indian Railways Report

(Shri B. V. Naik.)

was also submitted which showed how much of thefts had occurred in the Railways in the consignments booked. In the year 1973-74, the thefts involved an amount of Rs. 2.39 crores nearly Rs. 2.40.

This is only in regard to the thefts which have been classified as thefts. Over and above that, during the year 1973-74, out of the railways gross earnings of about a thousand and odd crores as much as one percent of its total gross revenue goes to pay the compensation claims, most of which will be accountable on the basis of thefts, pilferages and wastages on transit. In 1973-74, the railways settled the claims worth Rs. 6,62,513/-. The compensation that was paid to the people who had booked their consignments and the loss on railway property as well as the loss on revenue earnings on consignments amounted to Rs. 13.50 crores.

We can now see the dimensions of the amount of the goods lost in transit, goods missing in transit, railway property stolen and the pilferage that took place. All these could be understood. The worst part of this racket seems to be by the so called guardians of law; the Railway Protection Force, the constables, who are expected to protect the railway property have shown themselves as the criminals—I do not want to use any other word—involved in thefts. If the guardian of the law is risen to such a level, what punishment are you going to provide? Section 414 provides for three years' imprisonment. But, if the magistracy is in a generous mood, it may be two years or even two months, unless they are going to be honourably acquitted. Under the circumstances, it is a shame on the part of the Railway Protection Force and for the Railway Administration to entrust the investigation to some of its own personnel who have been taken on loan from the Home Ministry as trial authorities for investigation of the railway protection

forces involved in this case. Why is it that we cannot commission the CBI? There is one more reason why the highest authorities in the CBI have to go and investigate because it is not only the guardians of law but it is also the politicians—the guardians of democracy—who have been involved in this. This is the most shameful chapter. I would like to know whether one of the Members belonging to one of the parties in this country and I do not think I would be erring on the wrong side if I say Mr. Chander Shekhar Singh belonging to the Communist Party of India has been suspended by his own party. I compliment the party. Under the circumstances, let the country know where the crooks are hiding and let action be taken against them. I would like that in future in rackets of this kind the Railways should come out with more facts. You have inherited bureaucracy. I suggest instrumental revolution and changes in our system.

I hope the Railway Minister would accede to my request for intervention of CBI at the highest level to probe it in details because as the Paper says the racket is not of one lakhs but worth Rs 5 crores.

SHRI MOHD SHAFI QURESHI:
Sir, judging from the information which we received from various railways, we noticed an upward trend of pilferages and thefts more especially on Gaya Gomoh Section. So, the whole job was entrusted to the Central Crime Bureau of Indian railways. It was done in November and in February when raids were conducted it was found that railway property was recovered from some railway rakshaks. We have also seized certain documents but it is rather premature for me to say whether we can establish any link between the persons whose letters have been seized and rakshaks who have been held responsible for stealing railway property. The rakshaks involved are one Mukti Nath Singh from whose house cash worth Rs. 89,257/-, two bags of wheat, one bag

of rice and one tarpaulin bearing railway marking all suspected to have been stolen from railway wagons were recovered. Another is Shiv Kumar Tiwari from whose house cash worth Rs. 1900/- and jewellery roughly of the value of Rs. 5,000/- and registration documents and ignition keys of one Ambassador car No. BRH 275 were recovered. The car registered as taxi in the name of C. S. Singh has been seized by the police as it was parked outside the railway quarter of rakshak. The registration of the car is in the name of one Shri C. S. Singh. Another Rakshak, Ram Lakkhan Sharma. From his house, cash worth about Rs. 3404 was recovered. Then, a cabin man. From his house, some empty packing materials bearing railway marks were recovered suspected of having been stolen from the goods shed, Koderma. Shunting porter, Parmanand Tiwary. From his house, railway hand signal lamps suspected to have been stolen from the railway premises have been recovered. The RPF

SHRI B. V. NAIK. What is the full name of Shri C. S. Singh?

SHRI MOHD SHAFI QURESHI: I have given the information. In the registration document which the Police have seized, the name which has been entered is C. S. Singh.

Sir, as the work has already been taken up, not now, but in November, by our own investigation bureau, we do not think it necessary to bring in CBI at this stage because the State Police and the State CID are also helping the RPF in tracing these culprits.

Sir, then, certain documents have been found. There is one letter which was addressed to Mr. Chandra Shekhar Singh by the Minister of Railways. I do not know the contents of the letter but that letter has also been recovered from the house of the Rakshak. These are the facts of the case. We have nothing to conceal. These facts are there. Whatever further documents

are needed by the investigating authorities, those will be made available to them. At this stage, I would again repeat that there is no question of involving CBI in this case.

श्री जनेदवर मिश्र (इलाहाबाद)

अध्यक्ष महोदय, सब से पहले यह जवाब जो रेल मंत्रालय की तरफ से आया है—मेरा ख्याल है यह मामला गृह मंत्रालय का भी है, क्योंकि इस जवाब के आखरी पारे में लिखा है—

“बुकि सारे मामले पर बिहार राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और अभी कागजों का नोट की विस्तृत जांच की जानी है, इस निमित्त डिब्बे तोड़ने वालों के तथाकथित सम्बन्ध के बारे में अभी से कुछ कहना आसामयिक होगा।”

इस बात से लगता है कि पुलिस महकमा भी इस मैदान में है। कायदे में तो यहाँ ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब को भी बैठना चाहिये था, लेकिन वे नहीं आये।

अध्यक्ष महोदय, रेल के बैगनों की चोरी या वगणों को तोड़ने का यह रोग देशव्यापी रोग है। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं, ये नये नये रेल मंत्री बने हैं कोडरमा की तो बात ही छोड़िये, मरा कपाल है कि ये मुगलसराय की चोरी का भी नहीं बच सकते, जो इन के नाक के नीचे रोक होनी रहती है और कुरेशी साहब ने कई बार अपने मंत्रालय के अधिकारियों को लताड़ लगाई होगी कि इस तरह की चोरी क्यों होती है। लेकिन वह चोरी अभी तक रुक नहीं सकी है।

इस से भी एक बड़ी बात यह है कि जब यह काल-एटेंशन अखबार में छपा और उस में लिखा गया कि इस से राजनितज्ञों का कुछ रिश्ता है, तो जब हमने का एटेंशन दिया था, उस समय हमारे मन में यह डर था कि कहीं हम लोगों की पार्टी तो इस में शामिल नहीं

[श्री जनेश्वर मिश्र]

है। लेकिन आज जब मैंने मद्रास ब्रिक्काट में देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बिहार शाखा के एक संसद सदस्य, जो इसी लोक सभा के सदस्य हैं, श्री चन्द्र शेखर सिंह उन पर यह आरोप लगाया कि इन बैगनों को तोड़ कर चोरी करवाने में उन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इस लिये उन को पार्टी से मुअत्तिल कर रहे हैं—तब जाकर हम लोगो को तसल्ली हुई कि चलो, इस चोरी में हम लोग नहीं हैं, वरना हम लोगो को बहुत डर लग रहा था।

अब मैं कुछ सवाल पूछना

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप को ऐसा शक क्यों हुआ ?

श्री जनेश्वर मिश्र : इस लिये कि मैं लिखा हुआ था कि इस में पोलिटिकन लिंक है, उसमें मुझे आप पर भी शक था, सब पर शक था, ऐसा न समझियेगा कि केवल विरोधी लोगो पर ही शक था।

अब, अध्यक्ष महोदय, जैसे चोरियां हुआ करती हैं, चोरी अगर 10 लाख की होती है, तो थानेवाले उस को घटा कर 10 हजार कर दिया करते हैं, इस लिये कि उन की एन्ट्री खराब न होने पाये। इस लिये पांच करोड़ की चोरी अगर बतलाई जाती है तो मंत्री जी अपने जवाब में लाखों पर आ कर रुक जाते हैं, अपने जवाब में सही तस्वीर बतलाने से क्यों भाग रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न —मूल जवाब में रेल मंत्रालय ने कम्युनिस्ट पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया—यह सवाल आज है। हमारे यहां एक कहावत है चोर-चोर मौसेरे भाई। अब हमें शक होने लगा है—क्या यह आपसी रिश्तेदारी है ? माननीय चन्द्र शेखर सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा के इस सदन के पिछले 7-8 साल से मेम्बर हैं

श्री भोनेश्वर झा (जयनगर) : हम इस तरह से उन को सस्पेन्ड करेंगे—यह इन के दिमाग के बाहर की बात है, क्योंकि इन में भी सब के सब इस से ज्यादा फाइम करने वाले मौजूद हैं ... (व्यवधान) ... ये सभी चोर हैं, इस लिये ऐसा एकशन नहीं ले सकते हैं ... (व्यवधान) ... अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरी पूरी पार्टी के बारे में कहा है, इस लिये मुझे पोलीशन को एक्सप्लैन्ड करने की इजाजत दीजिये ... (व्यवधान) ..

श्री जनेश्वर मिश्र : क्या मि छले 8 सालो से ये पुलिसों के सिपाही, ये जो आर० पी० एफ० के रक्षक कोडरमा स्टेशन पर थे, इन के ट्रांसफर के लिये कई बार कोशिश की गई और इस देश की एक राजनीतिक पार्टी, जिस पार्टी के संसद सदस्य आज मोअत्तिल किये गये हैं—ये बारबार माननीय भूतपूर्व रेल मंत्री जी, जो अब स्वर्गीय हो गये हैं, उन के यहा पैरवी करने जाने थे कि इन का ट्रांसफर न किया जाये और स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र बारबार उन की पैरवी पर उन के ट्रांसफर को रोक दिया करते थे ? तो यह केवल राजनीतिक लिंक नहीं है—बैगन तोड़ने में, बल्कि इस समय देश में इन लोगो का जो लिंक बना हुआ है, वह लिंक अपनी जगह काम कर रहा है।

क्या मंत्रालय को यह मालूम है कि बैगन तोड़नेवाले इन आर० पी० एफ० के जवानों ने यह कुसूर आज ही नहीं किया है—21 जनवरी, 1974 को जब महंगाई के सवाल पर कोडरमा में वहां के लोगों ने रेलवे क्रासिंग पर धरना दिया था तो एक अधिकारी था—जो मैजिस्ट्रेट की हेसियत से आया था उस ने गोली चलाने के लिये आर्डर नहीं दिया, तब आर० पी० एफ० के इन जवानों ने कहा था—अगर गोली चलाने की इजाजत नहीं देगे तो हम तुम को गोली मार देंगे। इस पर वहां गोली चली और उस में दो लोग मारे गये श्री विश्व नाथ मोदी, जो वहां के विधेयक हैं,

उन के साथ 60 लोगों को जेल भेजा गया। इस तरह से आर० पी० एफ० के लोगों का मन बड़ गया था—क्या इस की जानकारी आप को है ? ... (व्यवधान) ... वे एन्टी मैलेरिया विभाग के आफिसर थे—जैन, जो वहाँ मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे थे, वे वहाँ मैजिस्ट्रेट इन्चार्ज बनाये गये थे, बिहार में ऐसा सब कुछ होता है।

क्या इन आर० पी० एफ० के जवानों ने भूतपूर्व रेल मंत्री, मैं उन का नाम अब नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब उन पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं होता—अभी हाल में उन के भ्रा.जे की शादी में एक एम्बेसेडर गाड़ी उपाहार स्वरूप दी है ? क्या इस की जा.कारी आप को है, यदि नहीं है तो क्या आप इसका जांच करायेंगे ... (व्यवधान) ... इन आर० पी० एफ० के जवानों ने दी थी, जो कोडरमा में काम करते थे। आज ही श्री विश्व नाथ मोदी ने, जो हम लोगों के प्रदर्शन के सिलसिले में यहाँ आये हुए हैं, मुझे बताया कि अभी हाल में वह शादी हुई है और उस में एम्बेसेडर गाड़ी दी गई है। क्या इस की जानकारी आप के मंत्रालय को है। देखिये—कहाँ तक भ्रष्टाचार चला है, केवल चन्द्र शेखर सिंह ही नहीं, बल्कि आप के एक वरिष्ठ मंत्री—कुरेशी साहब, आप कह नहीं हैं—इस में हैं। क्या आप इस की जांच करायेंगे यह रिश्ता कहां तक चलता है। क्या जो पोलिटिकल लिंक इस में बना है, उस के बारे में भी सफाई देंगे।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ—अभी कम्युनिस्ट पार्टी के भोगेन्द्र झा जी एतराज कर रहे थे—लेकिन मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी जानकारी के साथ कहना चाहता हूँ—बिहार के दरभंगा, मधुबनी और स.स्तीपुर में जितने जरायम पेशे लोग इस समय हैं, उन को कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी में भरती किया है और जो जेल में थे उन को

वहाँ जा कर सुविधायें दिलाया करते हैं। चाहे रेल का वाहन तोड़ने वाले हों या जरायम करने वाले हों। सरकार उन के खिलाफ क्या कार्यवाही करायेंगी या क्या इसी तरह से दोस्ती का हाथ मिलता रहेगा और चन्द्र शेखर सिंह, जिन को निकाला, है, वे विरोधी हैं—मैं कहूँगा कि आप तो राजस्थान में दलबदलियों को अपनी पार्टी में ले रहे हो, दिल्ली की नगर पालिका में दो लोगों को ले दिया है और चन्द्र-शेखर सिंह को भी अपनी पार्टी में ले लो, इस में आप को क्या तकलीफ है।

श्री मुहम्मद शकी कुरेशी : स्पीकर साहब यह सही बात है कि कोई भी बान छिपायी नहीं गई है, जो वाक्यान और सूचना—मैं इस वक्त तक मिली है वह हम ने सदन को दी है। लेकिन यह हकीकत है कि यह रक्षक कोडरमा में तबदील किये गये थे और अपनी तबदीली को रोकने के लिये इन्होंने कुछ खतूत हमारे मिनिस्टर साहब को भेजे थे, जिस में एक खत श्री चन्द्रशेखर सिंह जी ने ललित बाबू को भेजा था 20-3-74 को 3 अगस्त तक ललित बाबू ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इन लोगों को वहाँ से तबदील कर दिया जाय। और 3 मार्च के बाद दोसरा चन्द्र शेखर सिंह जी ने खत लिखा जिस में लिखा आप ने कोई कार्यवाही नहीं की। यह जो रक्षक हैं इन के खिलाफ कैसे ज.किये गये हैं, उन के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ अर्से के लिये ट्रांसफर रोक दिया जाय। क्यों कि इन को कोडरमा से गजडी तबदील किया गया, जैसा माननीय सदस्य को मालूम है गुर्पा और गुजडी के बीच कोडरमा है। तो कोडरमा में जो आउट पोस्ट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का था वह खत्म कर दिया गया था इसलिये लोगों को कोडरमा से बाहर जाना पड़ा।

उस पर ललित बाबू ने इन को 3-8-74 को खत लिखा :

[Shri Mohd. Shafi Qureshi]

"Please refer to your letter dated 20th March 1974 regarding the retention of Rakshak Shri Sheepkar Tiwari, Ram Lakan Sharma and Muktinath Singh at Koderma. I had the matter looked into and find that according to the reorganisation scheme which came into force with effect from 1st November 1973 no staff is to be posted at Koderma. The RPF staff at Gujandi is however detailed for duties on rotation basis at roadside stations including Koderma. Though the above named rashaks are attached to Gujandi outpost, they are provided with quarters at Koderma and as such there should be no difficulty in the education of their children. The counter court cases can be pursued by them while remaining at Gujandi which is not far from Koderma."

This clearly shows that the Minister did not agree to his request to transfer them back to Koderma but he said that they could get the education of their children at Gujandi and other facilities they have asked for can be provided. Subsequently when the representation was pressed by Mr. Singh and the plea was taken that the employees' children were studying, orders were issued that their transfer should be stayed in view of their children's studies upto March 1975 or the cases were finished, whichever was earlier. There is no favour shown to any person.

I have said that the hon. Member who had been pressing the case of these employees happens to belong to a particular party; it is not to say that the whole party is bad. I am not saying so.

SHRI PILOO MODY (Godhra):
You also come to the same conclusion.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I say that it is rather premature at this stage to establish a link between Mr. Singh and those rakshaks. The reco-

veries have been made; the documents are there; nothing has been concealed.

श्री जनेश्व मिश्र : ऐम्बेसेडर गाड़ी का क्या है

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : उस के मतलबिक हमें कोई उत्तर नहीं है ।

श्री मनु लिमये (बांका) अध्यक्ष
महोदय, आज सवेरे "स्टेट्समैन" में मैंने काग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ का ध्यान पढ़ा और उस में उन्होंने कहा है कि डिमेंट ऑर डिमिशन से फर्क करना चाहिये । उन्होंने कहा कि डिमेंट तो ठीक है लेकिन डिमिशन खराब चीज है । लेकिन श्रांत आचरण किम श्रेणी में आता है इस के ऊपर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है । अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जिन के ऊपर छापा मारा गया और जिन को गिरफ्तार किया गया उन के पास एक लाख रुपये से अधिक धन मिला । और आप ने कहा है कि जनवरी से लेकर दिसम्बर तक तकरीबन इस इलाके में 16 लाख रुपये की चोरी हुई है । तो एक लाख रुपये मिला । चोरी हुई है 16 लाख 37 हजार रुपये की । तो तकरीबन 15 लाख रुपये की चोरी यह पकड़ नहीं पाये । मैं मंत्री महोदय से जाना चाहता हूँ कि क्या जब यह छापा पड़ा तो उस के कुछ घंटा पहले गया के पुलिस अफसरों के जरिये इन सज्जनों को जानकारी दी गई थी कि छापा पड़ने वाला है । और इसलिये बहुत सारा माल जो इन लोगों के पास था वह जंगलों में या दूर दूर जा कर फेंक दिया गया । और क्या जले हुए या अघ जले नोटों के बंडल इस छापे में पकड़े गये

क्या यह बात भी सही है, उन्होंने स्वयं कहा है कि कागजात और दस्तावेज पकड़े गये हैं, तो चन्द्रशेखर सिंह का नाम तो आप

ने ले लिया इस में कौन सी नई जानकारी दी ।
आज स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी ने जो बयान दिया
है उस में मन्मथलाल के दो कारण बताये ।
एक यह बताया कि समद सदस्यों को मोटर
गाड़ी खरीदने के लिये जा परमिट दिया जाता
है और जिस पर प्रायरेटी बेसिंग पर मोटर
गाड़ियां खरीदते हैं वह उन्होंने बेगन ब्रैकर्स
को दी और उस का इस्तेमाल कर के एम्बेलेटर
गाड़ी उन्होंने खरीदी और उन का दे दी । यह
इन्होंने स्वयं आराप लगाया । इस में मन्मथ
महोदय ने कौन सी नई जानकारी दी ।

दूसरी बात स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी
ने कहा है कि चन्द्रशेखर सिंह ने इन रक्षकों का
टामफर खदान के लिये प्रयास किया । ता
आप बाई नई जानकारी नहीं दे रहे हैं ।
लेकिन जा यह बागज पत्रों पर पुलिस नियमा
के अनुसार क्या पचनामा नहीं किया जाना
चाहिए । बरे लाइवर लाग मजदूर है और
क्या एक एक आउटम का बारे में सारी तफसील
दना जरूरी नहीं होता है ? तो जा यह
बागज पत्रों पर कहा क्षत्रीय पुलिस
अपमरा के दबाव में जा टीम आप का गई
थी आप ने खुद उल्लेख किया है रेड
करने के लिये क्या उस का यह नहीं कहा
गया कि एक एक बागज, एक एक आउटम
का तफसीलवार पचनामा मत करो ?

तो मैं सीधा सवाल मन्मथ महोदय से
पूछना चाहता हू कि क्या इन कागजात में
ऐसे भी कागज थे जिन में बिहारी ने दो कांग्रेसी
समद सदस्यों का सीधा उल्लेख था । कम्यु-
निस्ट पार्टी ने तो कम से कम चन्द्रशेखर सिंह
को निकाल दिया लेकिन आप लोगों के
बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन
दो समद सदस्यों को आप ने अभी तक सस्पेंड
नहीं किया है । दो बिहारी समद सदस्य
इस में इनवाल्ड है । कम्युनिस्ट पार्टी ने
काल अटेशन एडमिट होते ही, चन्द्रशेखर
सिंह को सस्पेंड कर दिया । तो क्या इन दो
कांग्रेसी सदस्यों का इन कागजों में नाम है ?

और अध्यक्ष महोदय, क्या उस में एक बिहार
के गफूर मन्मथलाल के सदस्य का भी नाम
है ? और क्या बिहार के और एक नेता
का भी नाम है ? मैं नाम नहीं ले रहा हू
उन में से किसी का । मैं कांग्रेस के उदा
ग जल्द पूछना कि अगर यह सारी जान कर
कम्युनिस्ट पार्टी का मिल सकती है न
कांग्रेस पार्टी का भी मिल सकती थी

श्री उदय शर्मा (पारमट हाउस)
नाम क्या दीजिए ।

श्री मधु लिमये : नाम नहीं बताऊंगा
समय पर नाम आ जाएगा । चारा का नाप
है ।

श्री चर्यामंगल बस अन्धरा एक ता बना
दीजिए ।

श्री मधु लिमये : नहीं । दो समद सदस्य
एक गफूर मन्मथलाल का सदस्य और एक
बिहार के नेता का नाम है और अबाल
बन्धन अभी तक उन के खिलाफ एक्शन
नहीं लिया । उन का तो विना है श्री
माहून धारिया की । ठीक है । यह इन
का अन्दरूनी मामला है, अन्तर्चारी को
पदोन्नति दो दो और मोहन धारिया जो जैम
लोगों का निकाल दो । ठीक बात है ।

अब जिस निवारी का आप ने उल्लेख
किया, उस निवारी के पास से एक अपूर्ण
पत्र उनके अक्षर में पकड़ा गया । इन्क्म्पलीट
लेटर रिटिन बाई निवारी । (व्यवधान)
वह इन्क्म्पलीट था । उन के पास आधा
लिखा हुआ पत्र पाया गया, जिस में उन्होंने
कहा था कि जिनका पैसा खर्च करना पड़े,
मैं करने को तैयार हू लेकिन यह जो मेरा
तीसरी बार ट्रान्सफर हो रहा है, उस को
मेहरबानी कर के रुकवाएँ । मैं जानना
चाहता हू कि क्या दो बार इस निवारी का
ट्रान्सफर कुछ समद सदस्यों के दबाव के

[श्री मधु लिमये]

कारण, केवल श्री चन्द्र सिंह ही नहीं कुछ सदसद सदस्यों के गिरफ्तार के कारण नहीं रुकवाया गया और यह कारण दिया, अध्यक्ष महोदय, कि वह पहलवान है और इसलिए बंगन-ब्रकर्स को ठीक करने के लिए उन का वहां रहना बहुत जरूरी है जबकि खुद ये रैसलर साहब, ये पहलवान जी उस में पूरी तरह से फंसे हुए थे।

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि उस इलाके का एक पुलिस अधिकारी, वह सब-इन्स्पेक्टर है या इन्स्पेक्टर है मुझे पता नहीं है जिन का बड़ा रिश्ता एक सदसद सदस्य से है। वह कांग्रेस पार्टी का मंत्री है। अगर स्पीकर साहब आदेश देंगे, तो उन का नाम भी मैं रख सकता हूँ लेकिन मेरा ख्याल है अभी वे मुझे इस की इजाजत नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरे एक डी० आई० जी० साहब भी है। वे भी इस में फंसे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय मेरी तरफ से इजाजत है। रूल के मुताबिक एडवॉन्स इन्फार्मेशन पहले दे दो ताकि मैं उन को पहले बता दूँ और वे हाजिर हो सके।

श्री मधु लिमये : मैं मवाल पूछ रहा हूँ कि क्या यह जानकारी सही है।

Questions are asked to elucidate a matter under discussion.

मैं इन्फार्मेशन चाहता हूँ आप से कि क्या उन के अन्डरग्राउन्ड पैमेज वगैरह में मोटर साइकिल या दूसरा सामान भी मिला है और दो एम्बेस्डर गाड़ियां केवल श्री चन्द्रशेखर सिंह को दी गईं हैं नहीं, एक और भी एम्बेस्डर गाड़ी की बात है कि बड़े पुलिस आफिसर को दी गई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दें और आप से अन्तिम प्रार्थना है कि मेरा

जो प्रिविलेज का सवाल है, इस के बाद आप उस को भी ले लें।

अध्यक्ष महोदय : अभी वह रह गया ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सेन्ट्रल क्राइम ब्यूरो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, रेलवे महकमे में काफी असें पहले से इस बात की जांच में लगा हुआ है कि कुछ खास एरियाज में जो चोरी बढ़ती जा रही है, जिन में कोडरमा का स्टेशन भी आता है, उसका पता लगाए। गोमो से ले कर गया, तक जिस में गुरपा आता है, जिन में गुनगुंडी आता है और जिस में कोडरमा का स्टेशन भी है, इस में एक चीज नोटिस की है कि 1973-74 में यहाँ पर 10 लाख रुपये की चोरी हुई और एक साल के अन्दर बढ़ कर यह चोरी 16 लाख रुपये की हो गई और इस में एक बड़ी अजीब सी बात यह दीखती है कि हड़ताल के दिनों में, जितना हड़ताल का पीरियड है, उस में यह बढ़ती गई। इस में सवाल यह है कि स्ट्राइक में जो भी वे वगैर तन्त्रवाह के किन की देर तक चलते रहे, कहा से उन्हें पैसा मिलता रहा और क्या यह पैसा वही था, इस में मैं नहीं जाना चाहता।

श्री जनेश्वर मिश्र : उसकी जांच कीजिए।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं जवाब दे रहा हूँ, आप छड़िये मत। . . (अवधान)

श्री राम रतन शर्मा (बादा) : इस तरह के आरोप अगर लगाये जायें, तो आप इनकी जांच करवाइये।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम ने जांच शुरू की है और कुछ डाक्यूमेंट्स जस्ट किये हैं। हमारा जो क्राइम ब्यूरो है, उसने और बिहार सी०आई०डी० और बिहार पुलिस से कुछ डाक्यूमेंट्स जस्ट किये हैं।

अब सवाल यह था कि यह कालिंग एंटेनशन हमें कल मिला। उसमें यह था कि किसी पालीटिशन का लिंक तो इसके साथ नहीं है और उसमें हम ने यह देखा कि किसी एम० पी० साहब ने कोई खत किसी मिनिस्टर को तो नहीं लिखा है और हम ने देखा कि तीन खत हैं और श्री चन्द्रशेखर सिंह जी का खत हमारे पास इन आरिजनल मौजूद है, जिसका जवाब दिया हुआ है, हमारे मंत्री जी की तरफ से, ललित बाबू की तरफ से। वह वहां पर रिकवर हुआ है। बाकी तफसील कबल-अज-वक्त होने के मेरे पास नहीं है और यह कहना कि बाकी जो डाक्यूमेंट्स हैं. . . .

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के बारे में जानकारी है लेकिन कांग्रेस के सदस्यों के बारे में कहते हैं कि इनके पास जानकारी नहीं है। इसमें गफूर मंत्रिमंडल के एक मिनिस्टर भी हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेगी : अब आपको हमदर्दी कम्युनिस्ट पार्टी से है।

श्री मधु लिमये : मुझ को बिल्कुल नहीं है, आप गलतफहमी में हैं। हम को हमदर्दी नहीं है न आपके ऊपर और न इनके ऊपर।

अध्यक्ष सहोदय : आप बीच में गुफ्तगू करने लगते हैं और न इधर होता है और न उधर। जो निकलेगा, निकल जाएगा। चलने दो, कहीं छिपी रह सकती हैं ऐसी बातें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेगी : जो डाक्यूमेंट्स जन्म किये गये हैं, उनकी तफसील बाकायदा हासिल कर के हाउस के सामने रख देंगे। मैं तो यह समझता था कि यह कालिंग एंटेनशन इस गर्ज से उठाया गया है कि रेलवेज में जो चोरी होती है, उनको कम किया जाये और उनको कैसे रोका जाये, इसको देखें,

लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी इनमें दिलचस्पी कम है और गन्द उछालने में ज्यादा दिलचस्पी है।

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर है। मेरे जो प्रश्न थे, उनका उत्तर नहीं दिया और मेरे ऊपर अभियोग लगाया गया है। यह बेशर्मी की हद है। आप के संसद सदस्य उसमें फसे हुए हैं और आप बेशर्मा हो कर मेरे ऊपर अभियोग लगाते हैं?

SHRI B. R. BHAGAT (Shahabad):
 Sir, I rise on a point of order.

MR. SPEAKER: No point of order on a Calling Attention.

श्री जनेश्वर मिश्र : उन का श्री प्वाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर सुन लीजिए।

SHRI B. R. BHAGAT: It is not on the Calling Attention. I say that the House is being conducted against the rules. That is my basic point of order. You have to listen to this.

MR. SPEAKER: How is it that the House is conducted against the rules?

SHRI B. R. BHAGAT: How can I explain it unless you give me an opportunity? As you know, I am not in the habit of getting up and raising point of order every now and then. So, I am sorry, you said "No". Rule 197, which deals with Calling Attention, says in sub-rule (2):

"There shall be no debate on such statement at the time it is made."

A member can only ask a question.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, are you allowing this point of order?

In the past, we have many instances where brief speeches were made... (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is already on a point of order. I am not calling you.

SHRI B. R. BHAGAT: The rule clearly says that a member can only ask a question with the permission of the Speaker. According to me, my hon. friend, Shri Madhu Limaye, did not ask a question. He made allegations against the whole party, the Congress party....

SHRI MADHU LIMAYE: Not against the whole party.

SHRI B. R. BHAGAT: He said, there are two Congress Members, one Member from Bihar and one leader... (Interruptions) He was asked to give the names. He said, "I will not give the names." He was making allegations against the entire Congress party and, particularly, the Congress Members from Bihar... (Interruptions).

My point of order is that in the garb of a question, an allegation is made. I am sorry to say that the Minister also ignores that. He does not answer whether it is a fact or not. So, a doubt has been cast on all the Congress Members of Bihar. You, Sir, as the Speaker also, keep silent about it. It is the duty of the Speaker to see that the honour and the conduct of Members is protected. Either this question must be cleared or Mr. Limaye should withdraw the allegations.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, to my utter distrust, I notice that a right which you have perpetually denied to Opposition spokesmen without exception almost, you have allowed that to a Congress Member. Not only that. In the name of a point of order, you have allowed him to make a speech. Let it go on record. I only want this to go on record, to my utter distrust, that in this House, no uniform standard is being practised by the Chair.

MR. SPEAKER: Any other points against the Chair? You are welcome to do.

श्री भगवत भागवात (भगवत्पू) :
जो वै ईमान होता है उसको दानदा वै ईमान
नजर आती है । (Interruptions).

MR. SPEAKER: Shri Bhagirath Bhanwar.

SHRI B. R. BHAGAT: What about my point of order?

MR. SPEAKER: I do not treat it as a point of order. We follow the practice.

SHRI B. R. BHAGAT: Can any hon. Member make any allegation by way of putting a question?

MR. SPEAKER: Nobody can make an allegation. He did not mention anybody's name. I asked him if he could give the names to me with any advance information. He keeps it for future. If he had mentioned anybody's name, that was different. I do not think he mentioned the party as a whole.

SHRI B. R. BHAGAT: He mentioned Congress Members from Bihar. There are many Congress Members from Bihar. (Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने कहा कि
दो मेम्बर हैं तो कहा गया है कि उनके नाम दें ।

He said that he would submit later on. There was nothing wrong about it.

अब स्वामिन्नाह क्यों आप शोर करते हैं ।
अब्वल तो आपकी दाढ़ी नहीं है और जिसकी
दाढ़ी में तिनका है वह बता दे ।

श्री बरबारा सिंह (होशियारपुर) :
बगैर दाढ़ी वालों के शहतीर हो सकता है ।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : क्या
यह हक दाढ़ी वालों का है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो किसी में नजर नहीं आ रहा है। अगर है तो आप ही बता दें।

श्री भागरथ अंबार (आबुआ) : बिहार बहुत बदनाम हो रहा है। श्री चन्द्रशेखर मिह्र की बात आई। कुछ और लोगों के नाम भी आए। रेलों को पहले से बहुत घाटा हो रहा है। समय समय पर रेलवे सलाहकार समिति में भी रेल मंत्री जी का ध्यान इन चोरियों की ओर खींचा जाता रहा है। यह केवल कोडरमा की बात नहीं है। देश के और हिस्सों में भी रेलों में इस प्रकार की चोरियां होती हैं जिन की चर्चा कभी कभी तो यहां हो जाती है और कई बार नहीं होती है। ये जो चोरियां हो रहें हैं इसके सम्बन्ध में जो कुछ भी जांच हुई है या की जा रही है उस में क्या केवल रेलों के आर को का हाथ है या रेलवे सुरक्षा दल के कुछ अधिकारियों का भी इन में हाथ है? इस सम्बन्ध में जो जानकारी मंत्री जी को मिली वह भी उन्होंने सदन को नहीं दी। लिमये जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक नेताओं का, संसद सदस्यों का भी इस में हाथ है। उसकी भी जानकारी मंत्री जी को मिल गई है। लेकिन वह उसको देने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों वह सदन से इन बातों को छिपाना चाहते हैं और क्यों नहीं जो चीज देश के तथा रेलों के हित में है वह सदन को देना चाहते हैं? क्या वह अब भी पूरी जानकारी देंगे?

चोरियों की रोकथाम करने के लिए रेलों में सुरक्षा दल होता है। सब जगह चोरियां होती हैं। छुटपुट चोरियां तो हर जगह होती हैं। चूकि सुरक्षा दल इन को रोकने में असफल मिट्ट हो रहा है इस वास्ते में जानना चाहता हूं कि क्या आप कुछ और व्यवस्था इनके सम्बन्ध में करने जा रहे हैं, क्या रेलवे सुरक्षा दल के साथ आप प्रान्तीय दल की नत्थी करेंगे या कोई और व्यवस्था करेंगे ताकि इन चोरियों को रोक जा सके?

बिहार में हालत बड़ी खराब है। वहां आन्दोलन चल रहा है। जे० पी० को बदनाम किया जा रहा है। अब जबकि हालत बहुत खराब हो गई है क्या सरकार सोचेगी कि बिहार की सरकार को हटा दिया जाए और कोई दूसरी व्यवस्था वहां की जाए?

13.00 hrs.

इसके साथ साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी जो भी जांच कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसे नाम प्राप्त हों कि राजनीतिक पार्टी के लोग हों तो उनके नाम क्या सदन को बतायेंगे। और कब तक बतायेंगे?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा मैंने पहले कहा—पुलिस की तहकीकात में जो कागजात जप्त किए गए हैं या जो मालूमात उनको मिलेगी उसकी तमाम इत्तिहादास को दी जाएगी। इसमें पर्दा करने की, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हर मामले को उल्टाकर पोलिटिकल रंग देकर असल मामले को भुला दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में हमारी मदद करें तो मामनीय सदस्य के पास जो इत्तिहाद है वह हमें दे दें और हमारी मदद करें।

जहां तक रेलवे में चोरी का सवाल है, इसमें रेलवे के कर्मचारी भी जरूर हैं, बाहर के लोग भी हैं और वे भी हैं जो चोरी के माल का इस्तेमाल करने हैं। इस चोरी के रोकथाम के लिए इस किस्म की कार्यवाही की गई है। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य इसमें हमारा हाथ बंटायेगे और जो इत्तिहाद उनके पास है, उसे हमें देंगे ताकि हमें इस काम में सहायता मिले।

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I will not go into the question of these allegations and counter allegations of a political nature that were injected into the question by my friend...

SHRI MADHU LIMAYE: Please read the Call Attention for a change.

SHRI VASANT SATHE: Some political parties or persons may be involved or linked. It has been stated in the question itself, but to make allegations against members of a particular party ..

AN HON. MEMBER: Wild allegations.

SHRI N K P. SALVE (Betul): In violation of rules

SHRI VASANT SATHE: ...without naming them is not fair. He particularly said that members of the ruling party and who are members of Parliament and from Bihar are involved but he does not name them. But I am thankful to you that you have reduced the question only to those having beards. That at least reduces the area. But I do not know how many persons from Bihar have beards

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): rose—

SHRI DARBARA SINGH: His beard cannot hide even a small thinka.

MR SPEAKER: I think the gentleman at your back has offered his beard to be searched

SHRI VASANT SATHE: Therefore, I am also surprised when Shri Limaye named a big leader of Bihar who does not belong to any political party. Now, I do not know which big leader he was referring to because he only said a 'Bada Neta' ...

SHRI MADHU LIMAYE: Why are you misquoting me? I never said 'A Nirdaleeya Neta'

श्री वसन्त साठे : आप नाम लेते नहीं हैं कि कौन बड़ा नेता है, हम यह क्या समझे। मधु लिमये साहब की जो धादन है कि नाम न लेते हुए दोषारोपण करते जाना और हवा में छोड़ देना, और कहें भी जाबर बैठ जायें, यह उनकी

भादत बुरी है और बहुत पुरानी है। इस भादत से ये बाज नहीं आयेंगे, यह हमें मालूम है।

लेकिन मैं मिनिस्टर साबह से यह कहूंगा की सबाल दूसरा है। यहाँ इतने बड़े पैमाने पर चोरी हुई, आपने जो इशारा किया कि वह स्ट्राइक के दरम्यान, तो कुछ दावा लोग, गुंडे लोग जो आर० पी० एफ० में भी हैं और ये, अभी उन्होंने कहा पहलवान, तो ऐसे गुंडे मिलकर कही स्ट्राइक को मदद करने के लिए चोरी तो नहीं कर रहे थे? इसकी भी जरा जांच कीजिए।

स्ट्राइक के महान नेता कौन थे—जार्ज फर्नांडीज। वह किस पार्टी के थे इसी से यह सारा सिलसिला लग जाएगा। इसलिए इनका भी पता लगाना जरूरी है कौनसी पार्टी के लोग और किस नेता के अनुयायी रेलवे कर्मचारियों के साथ इस चोरी में मिले हुए थे?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सारे देश में स्ट्राइक के दरम्यान कितनी चोरी हुई, कहा-कहा हुई और कौन-कौन लोग उसमें इन्वाल्व्ड थे? इसका भी क्या आप पता लगा कर हमें जानकारी देंगे?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दोनों बातें जो इन्होंने कही कि जो माल चोरी हुआ और इस माल से जो रूपया वसूल हुआ वह किस तरीके से इस्तेमाल किया गया इसकी भी जांच हो सकती है इसमें रूकावट नहीं है। जो टोटल चोरी रेलवे में होती है वह आपको मालूम है कि करीब 20 करोड़ रुपए की चोरी हर साल होती है। लेकिन कुछ संश्लेषण ऐसे है जहां चोरी बढ़ती गई और चोरी के माल के खरीददार भी बढ़ते गए और गुंडे भी बढ़ते गये हैं। हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं और इसके खिलाफ जो कार्यवाही करनी है, वह कर रहे हैं।